पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.–3/आर०टी०आई०/20-21/01 दिनांक:25.06.2020

सेवा में,
श्रीमती सीता भारती
पत्नी अमित भारती
ग्राम –टकाडी पो०ओ० डिग्री कॉलेज,
पिथौरागढ़,
मो०- 9927 258 884

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 04.05.2020 के संबंध में

महोदया,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 04.05.2020 पावरग्रिड क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को, पिथौरागढ़ उपकेन्द्र के माध्यम से, दिनांक 01.06.2020 को प्राप्त हुआ है | मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	आपके विभाग पावरग्रिड द्वारा ग्राम तकाडी वि०ख० विण पिथौरागढ़ में ग्राम सभा के बीचों बीच आवासीय भवनों के ऊपर से निकाले गए हाइटेंशन तार का वर्ष एवं दिनांक उपलब्ध कराए		पावरग्रिड द्वारा 400 के०वी० धौलीगंगा –बरेली पारेषण लाइन का निर्माण जुलाई – 2005 में पूर्ण हुआ था	लाइन निर्माण के समय पारेषण लाइन के नीचे उक्त आवासीय भवन विद्यमान नहीं था	
02.	आपके विभाग द्वारा उक्त हाई टेंशन तार आवासीय भवनों के ऊपर एवं ग्राम सभा तकाडी के बीचों –बीच न निकालकर वन क्षेत्र से निकाला जा सकता है, अथवा नहीं	
03.	भविष्य में उक्त तार के टूटने पर जान – माल की हानि होने पर आपके द्वारा कोई मुआवजे की योजना है, तो अवगत कराएं	इस तरह के मुआवज़े का कोई प्रावधान नहीं है	इस तरह पारेषण लाइन के नीचे इस तरह का निर्माण अवैध है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से पारेषण लाइन के नीचे किये गये निर्माण (आवासीय भवनों) को हटा लेना उचित होगा	
04.	उक्त हाईटेंशन तार निकाले जाने हेतु शासनादेश उपलब्ध कराएँ	विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 24-दिसम्बर-2003 के अंतर्गत पावरग्रिड को पारेषण लाइन बीछाने के लिये अधिकृत किया गया है	(आदेश की प्रति संलग्न है)

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
05.	पूर्व में निकाले गए हाइटेंशन तारों को यदि वन क्षेत्र से निकालने हेतु स्वीकृति ली जाय तो उन तारों को प्रत्यावर्तित (Replacement) किया जाएगा अथवा नहीं	मांगी गयी जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत नहीं आती |
06.	उक्त विभाग के मुख्य कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय /राजकीय कार्यालय निदेशक एवं सचिव के सम्पर्क सूत्र एवं पता उपलब्ध कराएं |	**केन्द्रीय कार्यालय** : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, "सौदामिनी" प्लाट नं० -2, सेक्टर -29, गुरुग्राम 122001 (हरियाणा) **क्षेत्रीय मुख्यालय** : पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड,उत्तरी क्षेत्र -3, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, 12, राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ (उ०क्षे०)-226001
07.	उक्त विभाग के द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम एवं कार्यालय का पता उपलब्ध कराएं	**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:** श्री संजय गुप्ता कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ०क्षे० – 3 12 राणा प्रताप मार्ग, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

25/06/20

[कैलाश कुमार गुप्ता]
मुख्य महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2003/पौष 3, 1925
No. 1148] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2003/PAUSA 3, 1925

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1463(अ).—जहाँ पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली (अब से "पावरग्रिड" नाम से संदर्भित) है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है और विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अंतरराज्यीय पारेषण कार्य के लिए लाइसेंसी है।

और, जहाँ पावरग्रिड द्वारा अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के जरिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना तथा विद्युत पारेषण का कार्य करना अपेक्षित है।

और, जहाँ विद्युत पारेषण या कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से किसी अचल संपत्ति में या पर पोस्ट के नीचे, ऊपर, पास में या इसके पार विद्युत तार या विद्युत संयंत्र स्थापित करने और इनका अनुरक्षण करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 8) के भाग-3 के अंतर्गत तार लाइनों को बिछाने या स्थापित अथवा अनुरक्षित पोस्ट या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित तार लाइनों एवं पोस्टों के संबंध में पावरग्रिड को शक्तियाँ प्रदान करने एवं पावरग्रिड द्वारा इनका प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पावरग्रिड को एतद्द्वारा विद्युत पारेषण के लिए तथा कार्यों के समुचित समन्वयन के लिए आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधी सम्प्रेषण के उद्देश्य से बिछाई गयी या अनुरक्षित अथवा बिछाई जाने या अनुरक्षित की जाने वाली विद्युत लाइनों एवं विद्युत संयंत्र के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अंतर्गत तार प्राधिकरण को प्रदत्त एवं इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

पावरग्रिड को उपर्युक्त शक्ति का प्रत्यायोजन इसके द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करने की शर्त पर दिया गया है।

[सं. 23/73/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2003

S.O. 1463(E).—Whereas Power Grid Corporation of India Limited, having its registered office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi (hereinafter referred to as 'the POWERGRID') is a Government Company registered under the Companies Act, 1956 and a licensee engaged in the business of inter-State transmission of electricity, under the Electricity Act, 2003;

And, whereas Powergrid is required to establish transmission system and to undertake transmission of electricity through inter-State transmission system;

And, whereas for placing and maintaining of electric lines or electrical plant under, over, along or across, posts in or upon any immovable property for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for proper coordination of works, the vesting and exercise of the powers of the Telegraph Authority under Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 (8 of 1885) with respect to the placing of the telegraph lines and posts established or maintained or to be so established or maintained are required to be conferred on the Powergrid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 164 of the Electricity Act, 2003 the Powergrid is hereby authorized to exercise all the powers vested in the Telegraph Authority under Part III of the Indian Telegraph Act, 1885, in respect of the electrical lines and electrical plant established or maintained, or to be so established or maintained for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of the works.

The above authorization is subject to compliance by the Powergrid to the requirements of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[No. 23/73/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.